

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, रायपुर (छ0ग0)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़

क्रमांक / 9143 / MGNREGA / 16 / 2011-12

रायपुर, दिनांक 29.10.2011

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पत्र क्र. 698/वि-3/एनआरजीए/36/10 रायपुर दिनांक 25.02.2010 तथा पत्र क्र. 1174/वि-3/एमजीएनआरजीए/167/2010, दिनांक 13.05.2010 व पत्र क्रमांक 2267/वि-7 एमजीएनआरजीए /167 2011 रायपुर दिनांक 01.10.2011 के निर्देशानुसार जिला स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार एक वर्ष की संविदा 28.02.2012 तक (निश्चित वेतन) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15.11.2011 को सायं 5.30 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव/अनापत्ति आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं -

| क्र. | पद का नाम | पद संख्या | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता | चयन प्रक्रिया |
|------|----------------------------|-----------|------------|--|--|
| 1. | समन्वयक (शिकायत निवारण) | 1 | 8000-13500 | प्रथम श्रेणी -एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन)/ (ग्रामीणविकास)/ PGDRM/ PGDRD/ सामाजिक कार्य (MSW) / सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर | 1.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंको का Weightage देते हुए 70 अंक। 2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्यानुभव- <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 अंक • 5 वर्ष तक का अनुभव 10 • 5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 |
| 2. | सहायक (शिकायत निवारण) | 1 | 5000-8000 | प्रथम श्रेणी -एम.बी.ए. (ग्रामीणप्रबंधन)/ (ग्रामीणविकास)/ PGDRM/ PGDRD/ सामाजिक कार्य (MSW) / सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर | 1.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंको का Weightage देते हुए 70 अंक। 2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्यानुभव- <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 अंक • 5 वर्ष तक का अनुभव 10 • 5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 |
| 3. | समन्वयक (तकनीकी) | 1 | 8000-13500 | प्रथम श्रेणी - बी.ई./बी.टेक. (सिविल/कृषि अभियांत्रिकी) उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता | 1.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंको का Weightage देते हुए 70 अंक। 2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्यानुभव- <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 अंक • 5 वर्ष तक का अनुभव 10 • 5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 शैक्षणिक अर्हताओं का प्राथमिकता क्रम <ol style="list-style-type: none"> 1. पी.एच.डी. 2. एम.ई./एम.टेक. 3. बी.ई./बी.टेक. |
| 4. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 1 | 8000-13500 | प्रथम श्रेणी - बी.ई. कम्प्यूटर साईस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईस एवं डाट नेट टेक्नालाजी/जावा एम.एस.एस. व्यू एल./ ओरिकल का ज्ञान | 1.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंको का Weightage देते हुए 70 अंक। 2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। 3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्यानुभव- <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 अंक • 5 वर्ष तक का अनुभव 10 • 5 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 |

आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.raipur.gov.in में देख सकते हैं।

सही
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रायपुर

1. छ0ग0 शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2004 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
3. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2012 तक के लिये होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है।
4. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णता: अस्थाई एवं बिना कारण बताएं कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
6. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. आवेदक की आयु दिनांक 01.11.2011 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष। अजा/अजजा/पि.वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
8. अजा/अजजा/पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होंगे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की छायाप्रति जो छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न करें। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
10. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
11. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे।
13. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची आदि की सत्यापित छायाप्रति सहित उम्मीदवार नीचे दिये जा रहे प्रारूप में आवेदन करे, जो **दिनांक 15.11.2011 के सायं 5:30 बजे** तक पंजीकृत डाक द्वारा **“मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर”** के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
14. नियुक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।
15. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
17. विस्तृत जानकारी जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता।

सही
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रायपुर

12 अनुभव- संस्था का नाम ----- पद का नाम -----

| | |
|-------------------------|--|
| अनुभव की अवधि - | |
| अनुभव का कार्यक्षेत्र - | |

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक
रोजगार कार्यालय का नाम

टीप - जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव/अनापत्ति, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है । इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा , तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन /नियुक्ति को निरस्त करने अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान -----

दिनांक -----

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----